प्रेस विज्ञप्ति

17.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जालसाजी और धोखाधड़ी द्वारा समिति के पैसे के दुरुपयोग के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 15.02.2024 को ओडिशा के भद्रक और भुवनेश्वर शहरों में 10 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने आईपीसी, 1860 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की विभिन्न धाराओं के तहत भद्रक , ओडिशा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि बारापाड़ा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (बीएसईटी) समिति के प्रायसकांति श्यामल (पूर्व अध्यक्ष), मनोज कुमार गोस्वामी (सचिव) और अन्य लोग कथित तौर पर जालसाजी और धोखाधड़ी द्वारा समिति के पैसे की हेराफेरी में शामिल थे। प्रयासकांती श्यामल, पुत्र प्रफुल्ल श्यामल, विधायक, ओडिशा राज्य विधानसभा, सोसायटी के अन्य सहयोगियों के साथ वित्तीय अनियमितताओं के माध्यम से करोड़ों रुपए के गबन में लगे हुए हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि वे जाली/मनगढ़ंत दस्तावेजों की मदद से अपने व्यक्तिगत मौद्रिक लाभ के लिए धन और संपत्तियों (बीएसईटी के नाम पर अर्जित) के गबन में लगे हुए थे।

तलाशी अभियान के दौरान 9 लाख रुपए नकद और कुल 40 लाख रुपए लगभग कीमत की एक टोयोटा फॉर्च्यूनर कार बरामद और जब्त किए गए। इसके अलावा विभिन्न परिसरों से अदिनांकित चैक, भूमि समझौते और डिजिटल उपकरणों सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं।

आगे की जांच जारी है.